झंडा हटाने को लेकर भिड़े दो संगठन

एसीपी सारनाथ का फटा सिर, एक दरोगा समेत अन्य पुलिसकर्मी हुए घायल

घटना के बाद मौके पर पुलिस तैनात

पथराव में एसीपी सारनाथ विदुष सक्सेना गंभीर रूप से घायल हो गए—उनके सिर में चोट आई. एक दरोगा और एक अन्य पुलिसकर्मी भी जख्मी हो गए. घटना के बाद मौके पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है. पांच थानों की फोर्स के साथ वरिष्ठ अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और स्थिति को नियंत्रित करने में जुट गए. डीसीपी वरुणा जोन, एसडीएम पिंडरा, तहसीलदार और अन्य प्रशासनिक अधिकारी लगातार हालात की निगरानी कर रहे हैं. फिलहाल क्षेत्र में तनाव बना हुआ है, लेकिन प्रशासन का दावा है कि स्थिति नियंत्रण में है. पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और दोषियों की पहचान कर कार्रवाई की तैयारी में जुटी है.

वाराणसी, 17 अप्रैल. वाराणसी के चोलापुर थाना क्षेत्र का नेहिया गांव एक मामूली दिखने वाला झंडा विवाद अचानक इतना बढ़ गया कि दो संगठनों के बीच सीधी भिड़ंत हो गई.

शुक्रवार को हालात तब और बिगड़ गए जब दोनों पक्ष आमने-सामने आ गए और देखते ही देखते पत्थरबाजी शुरू हो गई. इस हिंसा में पुलिस भी अछूती नहीं रही—एसीपी सारनाथ का सिर फट गया, जबकि एक दरोगा समेत अन्य पुलिसकर्मी घायल हो गए.

यह विवाद आंबेडकर जयंती के दिन लगाए गए झंडे से शुरू हुआ, जिसे कथित रूप से फाड़कर जला दिया गया. इसके बाद विरोध प्रदर्शन, सड़क जाम और फिर दूसरे संगठन की एंट्री ने माहौल को और गरमा दिया. पुलिस ने पहले दिन स्थिति संभाल ली थी, लेकिन अगले ही दिन फिर हिंसा भड़क उठी.

राहुल पर एफआईआर का आदेश

- दोहरी नागरिकता के मामले में कानूनी पेच और गहरा गया
- लखनऊ पीठ ने जांच केंद्रीय एजेंसी से कराने को कहा है

लखनऊ, 17 अप्रैल. कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ दोहरी नागरिकता के मामले में कानूनी पेच और गहरा गया है. इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने इस मामले में एफआईआर दर्ज करने का आदेश देते हुए जांच केंद्रीय एजेंसी से कराने को कहा है.

अदालत के इस फैसले के बाद अब पूरे मामले की जांच सीबीआई के हाथों में जाएगी। यह मामला पहले निचली अदालत में खारिज हो चुका था, लेकिन याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।

सुनवाई के दौरान अदालत ने पाया कि आरोपों की गंभीरता को देखते हुए विस्तृत जांच जरूरी है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि पहले एफआईआर दर्ज की जाए और फिर जांच प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाए. इस फैसले के बाद राजनीतिक हलकों में हलचल तेज हो गई है और आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर सियासी घमासान बढ़ने की संभावना है.

राहुल मानहानि मामला : कोर्ट ने वादी पक्ष को चेताया

सुल्तानपुर. कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी से जुड़े मानहानि मामले में शुक्रवार को एमपी-एमएलए कोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान अदालत ने वादी पक्ष के लगातार स्थगन मांगने पर सख्त रुख अपनाते हुए भविष्य में किसी भी तरह की ढिलाई न बरतने की चेतावनी दी है. मामले की अगली सुनवाई 22 अप्रैल को होगी.

अमानक बीज मामले में कार्रवाई : केन्द्रीय मंत्री

- किसान हितों के मामले में जीरो टॉलरेंस की नीति : शिवराज

नई दिल्ली, 17 अप्रैल. नई दिल्ली में मध्यप्रदेश के धार और खरगोन के किसानों ने केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मिलकर उनके सामने करेला की फसल में अमानक बीज और रोपे से हुए भारी नुकसान का मामला रखा.

जिस पर शिवराज सिंह ने इसे किसानों की आजीविका पर सीधा प्रहार मानते हुए तुरंत अधिकारियों को निर्देश दिए कि पीड़ित किसानों को उचित मुआवजा दिलाया जाए और दोषी कंपनी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए.

मंत्री शिवराज सिंह के निर्देशों के बाद मामले में तेज़ कार्रवाई हुई और धार जिले के मनावर थाने में संबंधित कंपनी-नुन्हेम्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, हैदराबाद, तेलंगाना के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है.

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक बार फिर स्पष्ट किया है कि किसानों के हित उनके लिए सर्वोपरि हैं।

तीसरी बार उप सभापति चुने गए हरिवंश

नई दिल्ली, 17 अप्रैल. राज्यसभा के मनोनीत सदस्य श्री हरिवंश को शुक्रवार को लगातार तीसरी बार उच्च सदन के उप सभापति के पद पर ध्वनिमत से चुन लिया गया। नेता सदन जगत प्रकाश नड्डा ने श्री हरिवंश को उप सभापति चुने जाने का प्रस्ताव रखा जिसका भारतीय जनता पार्टी की सदस्य एस. फांगनोन कोन्याक ने समर्थन किया.

सदन ने इस प्रस्ताव को ध्वनिमत से पारित कर दिया। वह इस पद पर लगातार तीसरी बार चुने गये हैं. प्रस्ताव रखे जाने के दौरान विपक्ष के सदस्यों ने इस संबंध में कुछ कहना चाहा लेकिन सभापति ने उन्हें इसकी अनुमति नहीं दी. विपक्ष की ओर से इस पद के लिए किसी का नामांकन नहीं किया गया था। यह पहला अवसर है जब किसी मनोनीत सदस्य को सदन का उप सभापति चुना गया है.

सभापति सी पी राधाकृष्णन ने जरूरी विधायी दस्तावेज सदन के पटल पर रखे जाने के बाद उप सभापति के चुनाव की प्रक्रिया शुरू करते हुए श्री नड्डा से अपना प्रस्ताव पेश करने को कहा. कुल पांच सदस्यों ने श्री हरिवंश के चुनाव के लिए प्रस्ताव पेश किये.

आज का इतिहास

- 1612- मुगल बादशाह शाहजहां ने मुमताज से निकाह किया.
- 1621- सिक्खों के नौवें गुरु गुरु तेग बहादुर का जन्म.
- 1859- वर्ष 1857 विद्रोह के नेता तात्यां तोपे को फांसी दी गयी.
- 1902-अपराधियों की पहचान के लिए डेनमार्क ने सबसे पहले फिंगरप्रिंट दर्ज करने शुरू किए.
- 1906- सैन फ्रांसिस्को में भूकंप और आग से लगभग 4000 लोगों की मौत.
- 1917- महात्मा गांधी ने सत्याग्रह के लिए बिहार के चंपारण का चयन कियाय.
- 1924- रिचर्ड साइमन और लिंकन शूस्टर द्वारा दुनिया की पहली क्रॉसवर्ड पजल बुक छापी गई।
- 1930- सूर्य सेन उर्फ मास्टर दा और इंडियन रिपब्लिकन आर्मी के 62 लोगों ने चटगांव शस्त्रागार पर धावा बोला।
- 1948 -नीदरलैंड के हेग में अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का गठन हुआ।
- 1950 -विनोबा भावे ने आंध्र प्रदेश (अब तेलंगाना) के पचमपल्ली गाँव से भूदान आंदोलन की शुरुआत की।
- 1955- महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन का निधन हुआ।
- 1971- सम्राट अशोक नामक देश का पहला जंबो जेट विमान 747 मुंबई में उतरा।
- 1978- प्रख्यात लेखक खुशवंत सिंह के पिता शोभा सिंह का निधन।
- 1980- जिंबाब्वे ने ब्रिटेन से स्वतंत्रता मिलने की घोषणा की।
- 1991- केरल भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य घोषित हुआ.1992- रंगभेद के कारण प्रतिबंधित दक्षिण अफ्रीका ने 1970 के बाद पहला क्रिकेट टेस्ट मैच खेला।
- 1994-वेस्टइंडीज के बल्लेबाज ब्रायन लारा ने इंग्लैंड के खिलाफ एक दिन में 375 रन बनाकर सर गारफील्ड सोबर्स का रिकार्ड तोड़ा।

सार्वजनिक नोटीस

इसके द्वारा सभी संबंधितों को सूचित किया जाता है कि **श्री चंद्रशेखर जमनालाल पुरोहित उर्फ श्री चंद्रशेखर जमनालाल पालीवाल** (इसके बाद **"मालिक"** के रूप में संदर्भित) **फ्लैट संख्या 803 और 804 'सी' विंग, लॉयड्स एस्टेट, एंटॉप हिल, वडाला, मुंबई-400037** के कानूनी मालिक, कब्जेदार और अधिभोगी हैं।
उन्होंने उक्त फ्लैट हमारे असामी को बेचने का निर्णय लिया है। तदनुसार, यदि उक्त फ्लैटों में किसीका कोई अधिकार, दावा, आपत्ति, शिकायत या विवाद है, तो वे इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से **१५ (पंद्रह) दिनों** के भीतर आवश्यक दस्तावेजों की प्रतियों के साथ नीचे दिए गए पते पर लिखित रूप में सूचित करें।
यदि निर्धारित अवधि के भीतर कोई आपत्ति/दावा प्राप्त नहीं होता है, तो उसके बाद किसी भी दावे पर विचार नहीं किया जाएगा और मालिक और हमारे ग्राहक को किसी भी आपत्ति पर विचार किए बिना लेन-देन पूरा करने का अधिकार होगा।
स्थळ : मुंबई — हस्ताक्षर/-
दि. १८/४/२०२६ — **ॲड. मंदार सोमन**
२५, बॉम्बे म्यूचुअल चेम्बर्स, अंबालाल दोषी मार्ग,फोर्ट,मुंबई-४००००१,
फोन : ९९६७९११२०१
ई-मेल : mandar.soman82@gmail.com

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
अनुभाग बिचौली हप्सी, जिला इन्दौर
क्र./29/ री.एस.डी.ओ./2026
इन्दौर, दिनांक 10/04/2026
प्र.क्र. 005/अ-74/2026-27

उद्घोषणा

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि इस न्यायालय में आवेदक ग्रेण्ड एक्सोटिका कॉमन मेंटेनेंस एशोसिएन, पता ग्राम भिचौली मर्दाना, तहसील भिचौली हप्सी जिला इंदौर म.प्र. द्वारा ग्राम भिचौली मर्दाना तहसील भिचौली हप्सी जिला इंदौर में विकसित कॉलानी ग्रेण्ड एक्सोटिका में '' ग्रेण्ड एक्सोटिका कॉमन मेंटेनेंस एशोसिएन'' द्वारा सोसायटी रजिस्ट्रेशन का आवेदन-पत्र प्रस्तुत करते हुये लेख किया गया कि कॉलोनी की व्यवस्था एवं प्रबंधन हेतु रहवासियों द्वारा ''ग्रेण्ड एक्सोटिका कॉमन मेंटेनेंस एशोसिएन'' का गठन कर सोसायटी रजिस्ट्रेशन का आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है।
आवेदक द्वारा आवेदन-पत्र के साथ शपथ-पत्र, सदस्यों की सहमति हस्ताक्षर सहित जानकारी, रजिस्ट्रियों की छायाप्रतियां, ''ग्रेण्ड एक्सोटिका कॉमन मेंटेनेंस एशोसिएन'' के सदस्यों की सूची दस्तावेज़ प्रस्तुत किये गये।
आवेदक द्वारा प्रस्तुत किये गये उक्त आवेदन-पत्र के संबंध में इस न्यायालय में प्रकरण पंजीबद्ध होकर विचाराधीन है। यदि किसी व्यक्ति / संस्था को उक्त सोसायटी के पंजीयन में कोई आपत्ति हो तो वह स्वयं अथवा अपने किसी अधिकृत व्यक्ति/अभिभाषक के माध्यम से दिनांक 05/05/2026 तक प्रशासनिक संकुल, इन्दौर के न्यायालयीन कक्ष क्रमांक जी-07 में आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। बाद मियाद प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।
उक्त उद्घोषणा, मेरे द्वारा आज दिनांक 10/04/2026 को हस्ताक्षरित होकर न्यायालयीन मुद्रा से जारी।
अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
एवं सक्षम प्राधिकारी
अनुभाग बिचौली हप्सी, इन्दौर

पश्चिम रेलवे – रतलाम मंडल
बिजली विभाग (पॉवर)
ई–निविदा सूचना

संख्या : EL-2026-27-01, दिनांक : 15.04.2026. मंडल रेल प्रबंधक (बिजली/पॉवर शाखा) पश्चिम रेलवे रतलाम भारत के राष्ट्रपति की ओर से निम्नलिखित कार्य के लिए ''खुली निविदा'' ई–निविदा के माध्यम से वेब–साईट **www.ireps.gov.in** पर आमंत्रित करते है। विवरण इस प्रकार है :
ई टेंडरिंग संख्या : EL-2026-27-01, **कार्य का नाम :** Ratlam Division - Ratlam - Electrical work in connection with augmentation and up gradation of Kurel Dam. Shimla Colony Pond and other water sources, **अनुमानित लागत :** ₹ 5752015.50, **बयाना राशि:** ₹ 115100.00, **निविदा खुलने की तिथि :** 05.05.2026. विस्तृत निविदा सूचना एवं अन्य शर्तें वेब–साईट **www.ireps.gov.in** पर उपलब्ध है। ADM/7/1/002
Follow us on: twitter.com/WesternRly

पश्चिम रेलवे – रतलाम मंडल
ई–निविदा सूचना

IREPS Tender No. : M-661704-AMC-QWS-COR-2026. भारत के राष्ट्रपति की ओर से तथा उनके लिए वरि. मंडल यांत्रिकी इंजीनियर (कै.वै.)/रतलाम, रतलाम मंडल पश्चिम रेलवे द्वारा निम्नलिखित कार्य/कार्यों के लिए खुली IREPS निविदायें (Open tender, Single Packet system) आमंत्रित की जाती है। यदि किसी कारणवश निविदा खुलने की नियत दिनांक को अवकाश घोषित किया जाता है तो संबंधित निविदायें अवकाश के अगले कार्य दिवस में नियत समय पर खोली जायेगी।
कार्य का नाम एवं स्थान : चित्तौडगढ़ (सीओआर) रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म पर कोचों में पानी की आपूर्ति के लिए उच्च दबाव बूस्टर सिस्टम का वार्षिक रखरखाव अनुबंध।, **कार्य की अनुमानित लागत :** ₹ 39,78,493.14/- सभी टैक्स एवं GST सम्मेत।, **बयाना राशि :** ₹ 79,600/-, **समापन अवधि :** 730 दिन एलओए जारी होने की तारीख से, **कार्यालय का पता जहां निविदा खुलेगी :** कार्यालय वरिष्ठ मंडल यांत्रिकी इंजीनियर (कै.वै.) रतलाम मंडल (प.रे.), **निविदा फार्म जमा करने का निविदा खुलने का समय : बंद होने का समय :** 15:00 hrs. on 04.05.2026, **खुलने का समय :** 15:30 hrs. on 04.05.2026, **वेबसाईट व नोटिस बोर्ड जहां निविदा संबंधी सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त की जा सकती है :** निविदाऐं IREPS की वेबसाईट ireps.gov.in पर देखी जा सकती है साथ ही इस संबंध में कोई भी जानकारी कार्यालय वरिष्ठ मंडल यांत्रिकी इंजीनियर (कै.वै.) रतलाम मंडल (प.रे.) से सभी कार्यालयीन दिवस पर प्राप्त की जा सकती है। ADM/3/1/001
Follow us on: twitter.com/WesternRly

चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड

Chola — Enter a better life
कॉर्पोरेट कार्यालयः चोला क्रेस्ट, सुपर बी, सी54 और सी55, 4, थिरु वी का इंडस्ट्रियल एस्टेट, गिण्डी, चेन्नई-600032 टी.एन.

मांग नोटिस

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 ("अधिनियम") और सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 ("नियम") के प्रावधानों के तहत

अधोहस्ताक्षरी, अधिनियम के अंतर्गत चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (सुरक्षित ऋणदाता) के प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते और अधिनियम की धारा 13(12) के साथ नियम 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत मांग सूचना जारी करते हैं, जिसमें निम्नलिखित उधारकर्ताओं से उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर संबंधित सूचना में उल्लिखित राशि चुकाने का आह्वान किया गया है। अधोहस्ताक्षरी का यह मानना है कि उधारकर्ता मांग सूचना की तामील से बच रहा है, इसलिए नियमों के अनुसार सूचना को चिपकाने और प्रकाशित करने से उसकी तामील प्रभावित हो रही है। मांग सूचना की विषय-वस्तु नीचे उद्धृत हैः-

स. क्र.	उधारकर्ता/ओं और सह-उधारकर्ता/ओं का नाम और पता	ऋण राशि	मांग नोटिस की तिथि एवं ओ/एस. राशि	संपत्ति / सुरक्षित परिसंपत्ति का विवरण
1.	ऋण खाता. नहीं(एस). : LAP1UJJ000039936 1. श्रीमान/श्रीमती। शम्भू सिंह फते सिंह 2. श्रीमान/श्रीमती। कला बाई 3. श्रीमान/श्रीमती। अर्जुन सिंह क्रम सं. 1, 2 और 3 के लिए पताः- यादव मोहल्ला घोंसला महिदपुर, घट्टिया उज्जैन, पेट्रोल के पास पंप, घाटिया, म.प्र.-456550 पताः क्रम सं. 1,2 और 3 के लिएः भूमि सर्वेक्षण सं. का हिस्सा। 275/2 ग्राम घोसला तहसील महिदपुर, जिला उज्जैन पेट्रोल पंप के पास घाटिया 456550	रु. 19,90,000/-	13.04.2026 रु. 20,72,495/- (बीस लाख बहत्तर हजार चार सौ पिनच्यानवे मात्र) 13.04.2026 तक	वह आवासीय संपत्ति का पूरा टुकड़ा सर्वेक्षण संख्या 275/2, फेज संख्या 103 वाली भूमि का हिस्सा है, जिसका क्षेत्रफल 2840 वर्ग फुट या 263.94 वर्ग मीटर है। यह ग्राम घोसाला, तहसील महिदपुर, जिला उज्जैन, मध्य प्रदेश में स्थित है और इसकी सीमाएँ इस प्रकार हैंः पूर्वः दरबार सिंह का घर, पश्चिमः स्वयं की भूमि, उत्तरः साझा सड़क, दक्षिणः स्वयं की भूमि

उधारकताओं को सलाह दी जाती है कि वे मांग सूचना का अनुपालन करें और इसमें उल्लिखित मांग राशि का भुगतान इस प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के भीतर करें। साथ ही, भुगतान प्राप्ति की तिथि तक लागू ब्याज, अतिरिक्त ब्याज, बाउंस शुल्क, लागत और व्यय भी शामिल करें। उधारकर्ता कृपया ध्यान दें कि चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड एक सुरक्षित लेनदार है और उधारकताओं द्वारा प्राप्त ऋण सुविधा उधारकर्ता द्वारा गिरवी रखी गई अचल संपत्ति/संपत्तियों के विरुद्ध एक सुरक्षित ऋण है। यदि उधारकर्ता निर्धारित समय के भीतर अपनी देनदारियों का पूर्ण रूप से भुगतान करने में विफल रहते हैं, तो सुरक्षित लेनदार अधिनियम की धारा 13(4) के तहत सुरक्षित परिसंपत्तियों का कब्जा लेने के सभी अधिकारों का प्रयोग करने का हकदार होगा, जिसमें बिक्री के माध्यम से या अधिनियम और नियमों के तहत उपलब्ध किसी अन्य उपाय का उपयोग करके उन्हें स्थानांतरित करना शामिल है, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं है। और भुगतान प्राप्त करना। सुरक्षित लेनदार को बिक्री या हस्तांतरण के अधिकार को लागू करने से पहले सुरक्षित संपत्तियों को कुर्क और/या सील करने का भी अधिकार है। सुरक्षित संपत्तियों की बिक्री के बाद, सुरक्षित लेनदार को बकाया राशि वसूलने के लिए अलग से कानूनी कार्यवाही शुरू करने का भी अधिकार है, अगर गिरवी रखी गई संपत्तियों का मूल्य सुरक्षित लेनदार को देय बकाया राशि को कवर करने के लिए अपर्याप्त है। यह उपाय किसी भी अन्य कानून के तहत सुरक्षित लेनदार के लिए उपलब्ध सभी अन्य उपायों के अतिरिक्त और स्वतंत्र है। उधारकर्ता (कों) का ध्यान अधिनियम की धारा 13(8) की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसमें सुरक्षित परिसंपत्तियों को भुनाने के लिए उपलब्ध समय और धारा 13(13) की ओर भी ध्यान दिलाया जाता है। इसके तहत उधारकर्ता(कों) को सुरक्षित ऋणदाता की पूर्व लिखित सहमति के बिना सुरक्षित परिसंपत्तियों का निपटान या लेन-देन करने या बिक्री, पट्टे या अन्य तरीके से (व्यावसायिक गतिविधि के अलावा) किसी भी सुरक्षित परिसंपत्ति को स्थानांतरित करने से प्रतिबंधित/निषिद्ध किया जाता है और उपरोक्त का पालन न करना उक्त अधिनियम की धारा 29 के तहत दंडनीय अपराध है। डिमांड नोटिस की प्रति अधोहस्ताक्षरी के पास उपलब्ध है और उधारकर्ता(कों) यदि चाहें तो इसे अधोहस्ताक्षरी से किसी भी कार्य दिवस में सामान्य कार्यालय समय के दौरान प्राप्त कर सकते हैं।

स्थानः उज्जैन, मध्य प्रदेश — **एसडी/- प्राधिकृत अधिकारी**
दिनांकः 13.04.2026 — **चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के लिए**

इंडियन बैंक — Indian Bank
इलाहाबाद — ALLAHABAD

तनावग्रस्त परिसंपत्ति प्रबंधन शाखा,
मुंबई, 73, सातवीं मंजिल, मित्तल चैंबर्स, नरीमन पॉइंट, मुंबई - 400021

जानबूझकर भुगतान न करने वालों के संबंध में सार्वजनिक सूचना

इसके द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि मेसर्स लाभांशी एग्रीटेक प्राइवेट लिमिटेड के एनपीए ऋण खाते के नीचे उल्लिखित उधारकताओं/निदेशकों/गारंटरों ने इंडियन बैंक, एसएएम मुंबई शाखा (मूल शाखा - देवास, जो इंदौर जिले के अंतर्गत आता है) को अपने उपरोक्त ऋण खाते के पुनर्भुगतान के लिए देय राशि का भुगतान करने में विफल रहे हैं और जानबूझकर भुगतान करने में लापरवाही बरती है। अतः हम बैंकों/आरबीआई के मौजूदा नियमों और विनियमों के अनुसार, निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए, निम्नलिखित व्यक्तियों को जानबूझकर चूककर्ता घोषित करते हैं। "जानबूझकर चूककर्ता" घोषित किए गए व्यक्तियों का विवरण इस प्रकार हैः

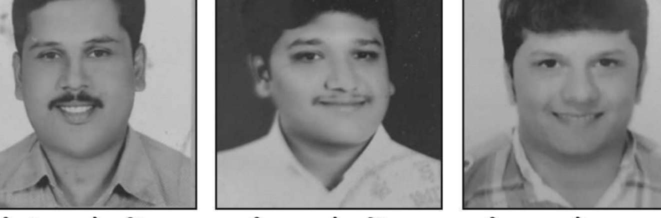

श्री अंकुश राजेन्द्र सिंघल — श्री अनुप राजेन्द्र सिंघल — श्री आयुष राजेन्द्र अग्रवाल

1. **श्री अंकुश सिंघल** (निदेशक/गारंटर) पुत्र. राजेंद्र सिंघल, 3 प्रकाश नगर, ब्रम्हकुंडी, धार, मध्य प्रदेश - 454001।
2. **श्री अनुप सिंघल** (निदेशक/गारंटर) पुत्र. राजेंद्र कुमार सिंघल 68 आनंद ग्रैंड कॉलोनी, नेमावर रोड, पालदा, इंदौर, मध्य प्रदेश - 452001।
3. **श्री आयुष अग्रवाल** (निदेशक/गारंटर) पुत्र. राजेंद्र अग्रवाल, 68 आनंद ग्रैंड कॉलोनी, नेमावर रोड, पालदा, इंदौर, मध्य प्रदेश - 452001।

ऋण राशिः रु. 3525.00 लाख
31.03.2026 को देय राशिः रु. 4027.54 लाख

उपरोक्त बकाया राशि पर लागू कानूनों के अनुसार वास्तविक वसूली की तिथि तक ब्याज, शुल्क, लागत और व्यय लगते रहेंगे।
अतः जनहित में यह सूचित और चेतावनी दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति उपरोक्त नामजद उधारकर्ता/निदेशकों/गारंटरों की किसी भी संपत्ति से संबंधित लेन-देन न करे, क्योंकि उपरोक्त देनदारों से भारी राशि वसूल की जानी है।

दिनांकः 16.04.2026 — **हस्ताक्षर**
स्थानः मुंबई — **शाखा प्रबंधक**

आधार हाउसिंग फायनेंस लिमिटेड

Aadhar Housing Finance Ltd
कार्पोरेट कार्यालय : युनिट नं. 802, नटराज रुस्तमजी, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे एवं एम.वी. रोड, अंधेरी (पूर्व), मुम्बई - 400069.
नीमच शाखा: ग्राउंड फ्लोर, वल्लभ भवन 6, विकास नगर, अंबेडकर नगर, नीमच-458441 (मध्य प्रदेश)
नागदा शाखा: प्लाट नं- 579, कवि नटवरलाल स्नेही मार्ग (महितपुर रोड़) नागदा जंक्शन, जिला- उज्ज्ैन म.प्र. 456335

आधिपत्य सूचना परिशिष्ट 4 (अचल संपत्ति हेतू)

जबकी, **आधार हाउसिंग फायनेंस लिमिटेड (AHFL)** के प्राधिकृत अधिकारी के तौर पर सिक्युरीटाइजेशन एंड रिकंस्टक्शन ऑफ फायनेंशियल एसेट्स एण्ड इंफोर्समेन्ट ऑफ सिक्युरिटी इंटस्ट एक्ट 2002 एवं सिक्युरिटी इंटस्ट (इंफोर्समेन्ट) नियम 2002 का नियम 3 के साथ सपठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को उपयोग करते हुए कंपनी के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा उपरोक्त सूचना प्राप्ति के **60 दिवस** में नीचे सूचना में वर्णित राशि का पुर्नभुगतान करने के लिए ऋणकर्ताओ/ प्रतिभूतिकर्ताओं को मांग सूचना (ए) जारी की थी। ऋणकर्ताराशि का पूर्नभुगतान करने में असफल रहे है, सिक्युरिटी इंफोर्समेन्ट नियम 2002 के नियम 8 के साथ सपठित उपरोक्त कानून की धारा 13 के सब-सेक्शन (4) के अंतर्गत के साथ प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए ऋणकर्ता(ओ)/ प्रतिभूतिकर्ता(ओ) एवं सामान्य जनों को सार्वजनिक रूप में सूचित किया जाता है वर्णित संपत्ति पर अधोहस्ताक्षरकर्ता ने अधिगृहण कर लिया है। धरोहर संपत्ति के एवज में संपत्ति को मुक्त कराने के लिए उपलब्ध समय सीमा पर कानून की धारा 13 का सब सेक्शन (8) के प्रावधानों पर ऋणकर्ताएं ध्यान देवे। ऋणकर्ता को विशेष रूप में एवं सामान्य जनो को सार्वजनिक रूप से यह चेतावनी दी जाती है कि संपत्ति के साथ कोई व्यवहार न करें एवं संपत्ति के साथ कोई व्यवहार नीचे वर्णित राशि के साथ शेष देय ब्याज के लिए AHFL के शुल्क के विषयानुसार होगी।

क्रं.	ऋणकर्ता(ओ)/प्रतिभूतिकर्ता (ओ)(शाखा का नाम)	धरोहर संपत्ति विवरण (अचल संपत्ति)	मांग सूचना का दिनांक एवं राशि	आधिपत्य का दिनांक
1	(लोन कोड नं. 14410000127/ नीमच शाखा) भूपेन्द्र सिंह पंवार (ऋणी) वंदना (सह-ऋणी)	संपत्ति का समस्त शेष एवं सम्पूर्ण भाग, सर्वे नंबर 53 पटवारी हल्का नंबर 62 नागडी बारखेडी रोड प्लॉट नंबर 77 नागडी तहसील जावरा जिला रतलाम मध्य प्रदेश 457226 **चर्तुसीमाएँ:–** पूर्व - श्रीपाल पिता कमल सिंह का मकान, पश्चिम - रोड़, उत्तर - गिरवर सिंह पिता दलपत सिंह का मकान, दक्षिण - सरकारी भूमि एवं रोड़	10-11-2025 & ₹ 10,26,843/-	16-04-2026
2	(लोन कोड नं. 77010000023/ नागदा शाखा) मो. इलियास (ऋणी) नाजमीन जी (सह-ऋणी)	संपत्ति का समस्त शेष एवं सम्पूर्ण भाग, जीएफ, एफएफ प.ह. 14 मकान नं.- 181, ग्राम महिदपुर रोड़, गोगापुर तहसील महिदपुर जिला उज्जैन गोगापुर- महिदपुर रोड़ वार्ड नं.- 17 गोगापुर उज्जैन मध्य प्रदेश 456440 **चर्तुसीमाएँ:–** पूर्व - डाक बंगला रोड़ का खुली जगह, पश्चिम - मेन रोड़, उत्तर - मो. पठान का मकान, दक्षिण - रोड़	09-01-2026 & ₹ 10,70,622/-	16-04-2026

स्थान : मध्य प्रदेश — **प्राधिकृत अधिकारी**
दिनांक : 18-04-2026 — **आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड**

एविओम इंडिया हाउसिंग फायनेंस प्रा. लि.

AVIOM India Housing Finance Pvt Ltd
कॉर्पोरेट कार्यालय : वर्ल्डमार्क 3, यूनिट 306ए, तीसरी मंज़िल, एसेट एरिया नंबर 7, हॉस्पिटैलिटी डिस्ट्रीक्ट दिल्ली एरोसिटी, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास, नई दिल्ली - 110037

कब्जा सूचना (अचल संपत्ति हेतु) (प्रतिभूतिहित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(1) के अंतर्गत)

जबकि, अधोहस्ताक्षरकर्ता ने एविओम इंडिया हाउसिंग फायनेंस प्रायवेट लिमिटेड का प्राधिकृत अधिकारी होते हुए वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13(2) और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 का सपठित नियम 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों के अनुप्रयोग में ऋणी/ बंधककर्ता **1– श्रीमती सुनीता बाई, 2 – श्री अशोक सिंह** को मांग सूचना पत्र दिनांकित **10/12/2025** को उक्त सूचना पत्र की प्राप्ति दिनांक से **60 दिनों** के भीतर सूचना पत्र में उल्लेखित राशि **रु.2,55,403.82/-(रुपये दो लाख पचपन हजार चार सौ तीन एवं बयासी पैसे मात्र) दिनांक 09/12/2025 तक**, ऋण खाता संख्या **HL0000000017432** के तहत, नोटिस में उल्लिखित ब्याज सहित देय को लौटाने के लिए निर्गमित किया।
ऋणी(यों) द्वारा यह राशि लौटाने में विफल होने पर ऋणी(यों) और सर्वसाधारण को एतद् द्वारा सूचना-पत्र दिया जाता है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) सपठित प्रतिभूतिहित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8 के तहत उसको प्रदत्त शक्तियों के अनुप्रयोग में एतस्मिन नीचे वर्णित सम्पत्ति का आधिपत्य दिनांक **15 अप्रैल 2026** को ग्रहण कर लिया है।
ऋणी को विशेषत: एवं सर्वसाधारण को सामान्यत: एतद् द्वारा सम्पत्ति के साथ व्यवहार नहीं करने की चेतावनी दी जाती है और उक्त सम्पत्ति के साथ कोई व्यवहार राशि **रु.2,55,403.82/-(रुपये दो लाख पचपन हजार चार सौ तीन एवं बयासी पैसे मात्र)+** उसपर ब्याज, शुल्क आदि के लिए एविओम इंडिया हाउसिंग फायनेंस प्रायवेट लिमिटेड के प्रभार के अधीन होगा।
प्रत्याभूत परिसंपत्तियों को मुक्त कराने के लिए उपलब्ध समय में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों में कर्जदार का ध्यान आकर्षित किया जाता है।

अचल संपत्ति का विवरण
मकान नंबर 60, ग्राम धुरेरी, तहसील देपालपुर, जिला इंदौर, मध्य प्रदेश
चर्तुसीमाएँ:– पूर्व- सड़क, पश्चिम- सड़क, उत्तर- लकी का मकान, दक्षिण- बिक्की का मकान

दिनांक : 15.04.2026 — **प्राधिकृत अधिकारी**
स्थान : न्यू दिल्ली — **एविओम इंडिया हाउसिंग फायनेंस प्रायवेट लिमिटेड**

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड

IDFC FIRST Bank
(पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है)
(CIN-L65110TN2014PLC097792)
रजिस्टर्ड ऑफिस : के आरएम टॉवर्स, 8वां तल, हेरिंगटन रोड, चेटपेट, चेन्नई-600031
फोन : +914445644000, फैक्सः +914445644022

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13 (2) के अंतर्गत सूचना

निम्नलिखित उधारकताओं और सह- उधारकताओं ने **आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है)** से नीचे उल्लिखित सुरक्षित ऋण प्राप्त किए हैं. नीचे उल्लिखित उधारकताओं और सह-उधारकताओं के ऋण उनकी संबंधित संपत्तियों के बंधक द्वारा सुरक्षित किए गए हैं. चूंकि वे संबंधित ऋण समझौतों की शर्तों का पालन करने में विफल रहे हैं और अनियमित हो गए हैं, इसलिए उनके ऋण को आरबीआई दिशा-निर्देशों के अनुसार एनपीए के रूप में वगीर्कृत किया गया। है. **आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड** के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) को उनके द्वारा देय राशि का उल्लेख संबंधित नोटिस के अनुसार किया गया है, जो विशेष रूप से निम्नलिखित तालिका में वर्णित है और उक्त राशियों पर आगे ब्याज भी लागू होगा और उसी पर संबंधित तिथियों से अनुबंध दर के अनुसार शुल्क लिया जाएगा.

स. क्रं.	ऋण खाता संख्या	ऋण का प्रकार	धारा 13 (2) नोटिस तिथि	धारा 13 (2) नोटिस के अनुसार बकाया राशि
1	99986383	संपत्ति के बदले ऋण	02.04.2026	6,86,172.56/-

उधारकताओं और सह-उधारकताओं का नामः 1. रितेश राजाराम 2. सुमित्रा बाई रितेश
संपत्ति का पताः म.प्र.-456664, तहसील एवं जिला उज्जैन, वार्ड संख्या 12, ख.सं. 403, पटवारी हल्का संख्या 78 में स्थित मकान संख्या 197 का वह पूरा टुकड़ा और भाग, जिसका कुल क्षेत्रफल 98.10 वर्ग मीटर (1056 वर्ग फुट) है, और जिसकी सीमाएँ इस प्रकार हैंः उत्तर में राहुल का मकान, दक्षिण में धन्नालाल का मकान, पूर्व में आम सड़क और पश्चिम में भंवरलाल की भूमि।

स. क्रं.	ऋण खाता संख्या	ऋण का प्रकार	धारा 13 (2) नोटिस तिथि	धारा 13 (2) नोटिस के अनुसार बकाया राशि
2	101080944	होम लोन	18.03.2026	7,07,722.19/-

उधारकताओं और सह-उधारकताओं का नामः 1. रोशन मीना 2. सपना मीना
संपत्ति का पताः आबादी मकान संख्या 66 का वह पूरा भाग, जिसका कुल क्षेत्रफल 983.98 वर्ग फुट है, वार्ड संख्या 04, ग्रामः पांगरा, पीएच नं. 29, तहसीलः कन्नोद, जिलाः देवास, मध्य प्रदेश-455440 में स्थित है, और जिसकी सीमाएँ सह-स्वामित्व विलेख के अनुसार इस प्रकार हैंः पूर्वः भोलाराम विश्वकर्मा का घर, पश्चिमः सरकारी रास्ता, उत्तरः नंदलाल मीना का घर, दक्षिणः नंदलाल मीना का घर।

स. क्रं.	ऋण खाता संख्या	ऋण का प्रकार	धारा 13 (2) नोटिस तिथि	धारा 13 (2) नोटिस के अनुसार बकाया राशि
3	85957429	होम लोन	02.04.2026	4,46,561.57/-

उधारकताओं और सह-उधारकताओं का नामः 1. गोवर्धन माधव सिंह 2. पवित्रा बाई गोवर्धन
संपत्ति का पताः प्लॉट/मकान नं. का वह सारा टुकड़ा और पार्सल। 37, क्षेत्रफल 504 वर्ग. एफटी., खसरा नंबर पर स्थित है। 35, पी.एच. नं. 84, ग्रामः लसुड़िया बेचर, ग्राम पंचायतः लसुड़िया बेचर, तहसीलः तराना, जिलाः उज्जैन, मध्य प्रदेश-456665, और सीमा इस प्रकार हैः पूर्वः सड़क, उत्तरः देवधर्मराज का मंदिर, पश्चिमः भंवरलाल, दक्षिणः भगवानसिंह पुत्र हिंदू सिंह

स. क्रं.	ऋण खाता संख्या	ऋण का प्रकार	धारा 13 (2) नोटिस तिथि	धारा 13 (2) नोटिस के अनुसार बकाया राशि
4	136314079	संपत्ति के बदले ऋण	02.04.2026	8,11,035.17/-

ऋणकताओं और सह-ऋणकताओं के नामः 1. नंद किशोर पाटीदार 2. धापू बाई
संपत्ति का पताः सर्वेक्षण संख्या 1119/2/2, ग्राम रानीगांव, पीएच नं. 02, तहसील पिप्लोदा, जिला रतलाम, मध्य प्रदेश-457333 में स्थित संपत्ति का वह पूरा टुकड़ा और भाग, जिसका क्षेत्रफल 0.050 हेक्टेयर है, और जिसकी सीमाएँ इस प्रकार हैंः उत्तरः आवेदक की भूमि, दक्षिणः शेतनकुंवर पत्नी अर्जुन सिंह की भूमि, पूर्वः सड़क, पश्चिमः आवेदक की भूमि।

आपको उपरोक्त तालिका में दर्शाए गए विवरण के अनुसार **आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित तथा वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है)** को संबंधित तिथियों से अनुबंधित ब्याज दर तथा अन्य लागत, प्रभार आदि के साथ इस प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के भीतर राशि का भुगतान करने के लिए कहा जाता है, अन्यथा नीचे हस्ताक्षरकर्ता को आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित तथा वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) को देय राशि वसूलने के लिए ऊपर उल्लिखित बंधक संपत्तियों के विरुद्ध एसएआरएफएईएसआई अधिनियम की धारा 13 (4) तथा धारा 14 के अंतर्गत कार्यवाही आरंभ करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा **आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित तथा वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड** के रूप में जाना जाता है). इसके अलावा, आपको उक्त अधिनियम की धारा 13 (13) के तहत बिक्री / पट्टे या अन्यथा के माध्यम से उक्त सुरक्षित परिसंपत्तियों को स्थानांतरित करने से प्रतिबंधित किया गया है.

एसडी/- प्राधिकृत अधिकारी
दिनांकः 18.04.2026 — **आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड**
स्थानः मध्यप्रदेश — **के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है)**